भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3069

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया गया)

कर्नाटक के लिए सी.एस.आर. निधि

3069. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सी.एस.आर. नियमों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को निधि देने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के उपयोग का प्रस्ताव किया है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) कर्नाटक में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्यक्रम-वार कुल कितनी निधि आवंटित, स्वीकृत और व्यय की गई; और

(ग) कुल कारपोरेट कंपनियों की संख्या कितनी है एवं इनके द्वारा उक्त अवधि के दौरान क्षेत्र-वार कितनी निधि व्यय की गई?

उत्तर

वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

(क) से (ग): सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 और इस अधिनियम की अनुसूची-VII के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इस अधिनियम की धारा 135 प्रत्येक कंपनी जिसका तत्कालिक पूर्ववर्ती निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये या अधिक है, या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या अधिक है, या निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक है, को सीएसआर गतिविधियां करने के लिए अधिदेशित करती है। इस अधिनियम की अनुसूची-VII कंपनियों द्वारा किए गए कार्यकलापों को पात्र सीएसआर गतिविधियों के रूप में इंगित करती हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, कार्यान्वित करने और निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर का ढांचा प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों के लिए अपनी सीएसआर गतिविधियों का विवरण वार्षिक रूप से एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा एमसीए रजिस्ट्री में फाइल किए जाने के अनुसार, सभी कंपनियों द्वारा कर्नाटक राज्य में वित्तीय वर्ष क्रमशः 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए किया गया सीएसआर व्यय निम्न प्रकार से है:

राज्य	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
कर्नाटक (करोड़ रुपये में)	1034.03	1222.44	587.48

(डाटा 30.09.2020 तक) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा जिसमें राज्य-वार, क्षेत्र-वार और कंपनी-वार डाटा भी है, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इसको www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है।

*****